



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 1981/श्रावण 23, 1903  
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 1981/SRAVANA 23, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

संश्लेषण सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1981

का.आ. 653(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक नौ पचासवां संशोधन) नियम, 1981 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगी ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961, की द्वितीय अनुसूची में, गृह मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत, 'भाग 2-संबन्धी विषय' उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि नं. 105 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“105-क. आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अध्यादेश, 1981.”

नीलम संजीव रेड्डी  
राष्ट्रपति

[नं. 74/3/17/81-मंत्री.]

आर. परमेश्वर, संयुक्त सचिव

### CABINET SECRETARIAT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 1981

**S.O. 653(F).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and fiftieth Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”, under sub-heading “Part II—Concurrent Subjects”, after entry No. 105, the following entry shall be inserted, namely :—

“105A. The Essential Services Maintenance Ordinance, 1981.”

N. SANJIVA REDDY,  
President.

[No. 74/3/17/81-Cab.]

R. PARAMESWAR, Jt. Secy.